

प्रदेश में पंजीकृत गोशालाओं में संधारित गोवंश के भरण-पोषण
हेतु
उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग से अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन

कृपया ध्यान दें :-

प्रारूप 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एवं 5/5

पृष्ठ संख्या 7

पृष्ठ संख्या 8

पृष्ठ संख्या 9

आवेदनकर्ता द्वारा भरा जाना है।

स्थलीय भौतिक निरीक्षण / सत्यापन हेतु गठित समिति द्वारा भरा जाना है।

जिला स्तरीय समिति द्वारा भरा जाना है।

गौशाला प्रबन्धन के दो पदाधिकारियों द्वारा भरा जाना है तथा मुख्य पशु
चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया
जाना है।

गो-सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
दसवां तल, इंदिरा भवन, लखनऊ

संपर्क सूत्र : 0522-2288390

ई-मेल : gosevaaayogup@gmail.com

**प्रदेश में पंजीकृत गोशालाओं में संधारित गोवंश के भरण-पोषण हेतु उत्तर प्रदेश गो-
सेवा आयोग से अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन**

प्रारूप - 1/5

जनपद का नाम :	मण्डल का नाम :	वित्तीय वर्ष :
क्र०सं०	मद	विवरण
1	गोशाला का नाम	
2	गोशाला का स्थाई पता	
3	गोशाला का पत्राचार का पता यदि उपरोक्त से भिन्न है	
4	अध्यक्ष का नाम, पता एवं संपर्क सूत्र	
5	सचिव/ मंत्री/ प्रबंधक का नाम, पता एवं संपर्क सूत्र	
6	गोशाला के पंजीकरण की संख्या एवं दिनांक	
6क	उ०प्र० गोशाला अधिनियम 1964 के अधीन (हाँ/नहीं)	
6ख	सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन (हाँ/नहीं)	
6ग	भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त (हाँ/नहीं)	
6घ	अन्य संस्था के अधीन यथा ट्रस्ट एक्ट (लोकहित में) (हाँ/नहीं)	
6 क, ख, ग एवं घ में जिससे सम्बंधित हो का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय		
7	अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम, पता, संपर्क सूत्र, ई-मेल आई०डी० (गोशाला की प्रबन्ध कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों का हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव/लेख्य जिसमें आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर सहित नाम का उल्लेख हो तथा आवेदन करने हेतु अधिकृत किया गया हो) (संलग्नक किया जाय)	
8	गोशाला का (1) पैन नम्बर, (2) आधार नम्बर (आवेदक का) (3) बैंक का नाम (4) बैंक ब्रांच (5) खाता संख्या (6) आई एफ एस कोड (7) आयकर अधिनियम की धारा 80G में पंजीयन का प्रमाण पत्र, यदि हो	
8	गोशाला का कुल क्षेत्रफल - एकड़ में	
9	गोशाला की क्षमता- (क्षमता का तात्पर्य यहाँ गोवंश की संख्या से है जिसके लिए शेड की व्यवस्था उपलब्ध हो)	
	बड़े गोवंश की संख्या	
	छोटे गोवंश की संख्या	
10	गोशाला में संधारित गोवंश	
	बड़े गोवंश की संख्या	
	छोटे गोवंश की संख्या	

हस्ताक्षर
आवेदनकर्ता / नाम/ पदनाम/ मुद्रा

प्रदेश में पंजीकृत गोशालाओं में संधारित गोवंश के भरण-पोषण हेतु उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग से अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन

प्रारूप - 2/5

गोशाला का नाम:

विकास खण्ड:

जनपद:

मण्डल :

क्र०सं०	मद	विवरण										
11	गोवंश हेतु शेड											
	संख्या											
	प्रत्येक का आकार (ल० x चौ०) (वर्ग फीट में)	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5					
1	2	3	4	5								
12	भूसा गोदाम की क्षमता (कुंतल में)											
13	चरही											
14	पानी की व्यवस्था											
15	ढरे चारे के लिए भूमि की उपलब्धता एकड़ में											
16	विगत तीन वर्षों का आय व्ययक विवरण राज्य सनद प्राप्त फर्म (फर्म ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा संपरीक्षित रिपोर्ट											
	20__ - __											
	20__ - __											
	20__ - __											
17	गोशाला को वर्तमान वर्ष में भरण -पोषण हेतु प्राप्त अनुदान तथा श्रोत (रूप में)											
	केंद्र सरकार											
	राज्य सरकार											
	दान											
	चंदा											
	अन्य											
18	गोशाला द्वारा क्रमांक 17 पर भरण -पोषण हेतु प्राप्त अनुदान का उपयोग कर लिया गया है											
19	यदि नहीं तो कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जाय											

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता / नाम/ पदनाम/ मुहर

प्रदेश में पंजीकृत गोशालाओं में संधारित गोवंश के भरण-पोषण हेतु उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग से अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन

प्रारूप - 3/5

गोशाला का नाम:

विकास खण्ड:

जनपद:

मण्डल:

क्र०स०	मद	प्रजाति (संख्या)							योग
20	गोवंश का विवरण	अवर्णित	साहीवाल	हरियाना	गंगातीरी	थारपारकर	संकर/विदेशी	अन्य	
20 (क)	01 वर्ष तक के गोवंश की संख्या								
	(1) 01 वर्ष तक के नर								
	(2) 01 वर्ष तक की मादा								
20 (ख)	3 वर्ष से कम परन्तु 01 वर्ष से अधिक उम्र के गोवंश की संख्या								
	(1) 3 वर्ष से कम उम्र के नर								
	(2) 3 वर्ष से कम उम्र की मादा								
20 (ग)	3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र के मादा गोवंश की संख्या								
	(1) 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र - दूध में								
	(2) 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र - सूखी								
20 (घ)	3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र के नर गोवंश की संख्या								
	(1) 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र के साँड़								
	(2) 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र के बैल								
	योग								
	महायोग (समस्त प्रजाति का योग)								
21	उपरोक्त गोवंश में से पुलिस/प्रशासन द्वारा तस्करी/वध से बचाए गए गोवंश की संख्या जिन्हें गोशाला द्वारा सुपुर्दगी में प्राप्त किया गया (सुपुर्दगी जामा की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाय)								

शपथ पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर
आवेदनकर्ता / नाम/ पदनाम/ मुहर

22 अनुदान सहायता का सूत्र जिसके आधार पर भरण पोषण अनुदान सहायता हेतु गणना की जा सकती है :-

क - गौशाला में गोवंश को रखने की संख्यात्मक क्षमता का / भौतिक निरीक्षण के समय पाए गए गोवंश की वास्तविक संख्या में से जो कम हो x 70 प्रतिशत = अनुदान सहायता हेतु गोवंश की संख्या

ख - 70 प्रतिशत के बराबर पशु संख्या x अधिकतम रु० 30/- x 365 दिन = कुल धनराशि

नोट : अनुदान सहायता की धनराशि मंडी सेस से प्राप्त धनराशि एवं बजट व्यवस्था पर आधारित होने के कारण मांग की गयी धनराशि से कम धनराशि भी स्वीकृत की जा सकती है।

उदाहरण:-

- (1) यदि गौशाला में 100 गोवंश रखने की क्षमता है। गौशाला के प्रस्ताव में 84 गोवंश का उल्लेख किया गया है परन्तु स्थलीय सत्यापन में 70 गोवंश पाए गए तो गणना निम्नवत होगी
 $70 \times 70 \div 100 = 49$ पशु
 $49 \times \text{रु० } 30.00 \times 365 \text{ दिन} = \text{रु० } 5,36,550.00$
- (2) यदि गौशाला में 100 गोवंश रखने की क्षमता है। गौशाला के प्रस्ताव में 90 गोवंश का उल्लेख किया गया है परन्तु स्थलीय सत्यापन में 92 गोवंश पाए गए तो गणना निम्नवत होगी
 $90 \times 70 \div 100 = 63$ पशु
 $63 \times \text{रु० } 30.00 \times 365 \text{ दिन} = \text{रु० } 6,89,850.00$
- (3) यदि गौशाला में 100 गोवंश रखने की क्षमता है। गौशाला के प्रस्ताव में 120 गोवंश का उल्लेख किया गया है तथा स्थलीय सत्यापन में 120 गोवंश पाए गए तो गणना निम्नवत होगी
 $100 \times 70 \div 100 = 70$ पशु
 $70 \times \text{रु० } 30.00 \times 365 \text{ दिन} = \text{रु० } 7,66,500.00$

23- गौशाला द्वारा उपरोक्त अनुदान सहायता सूत्र के आधार पर आंगणन
क -

ख -

24- भरण-पोषण हेतु मांग की गयी कुल धनराशि अंकों में रु०..... शब्दों में रु०.....

हस्ताक्षर
आवेदनकर्ता / नाम/ पदनाम/ मुहर

आवेदनकर्ता द्वारा दिया जायेगा -

रु० १००/- (रुपया एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ-पत्र (Affidavit / Bond) प्रारूप

मैं पुत्र/पत्नी..... उम्रवर्षमाह निवासी ग्राम
विकास खण्ड तहसीलजनपद..... शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि

- मेरी गौशाला का नाम एवं पंजीयन संख्या.....
..... है।
- मेरी गौशाला ग्राम विकास खण्ड तहसील जनपद.....
स्थापित एवं क्रियाशील है।
- मैं इस गौशाला का संचालन अध्यक्ष / सचिव / मंत्री / प्रबंधक के रूप में विगतवर्षों से कर रहा/ रही हूँ।
- प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को मेरी गौशाला में बड़े, छोटे कुल गोवंश संधारित है।
- मुझे यह भली-भांति ज्ञात है कि गौशाला का औचक निरीक्षण एवं फोटोग्राफी / वीडिओग्राफी जनपद स्तर / प्रदेश स्तर से कराई जा सकती है जिसमें मेरे द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा प्रपत्र में अंकित कुल गोवंश की संख्या व गौशाला प्रबंधन में कमी पाए जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा एवं गौशाला प्रबंधन समिति का होगा एवं गौशाला पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु गौशाला प्रबंधन स्वयं जिम्मेदार होगा।
- जिला प्रशासन द्वारा वध व तस्करी से बचाए गए गोवंश को सुपुर्दगी में लेने से गौशाला इंकार नहीं करेगी।
- गौशाला पशुओं की चिकित्सा की उचित व्यवस्था एवं मृत पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करेगी।
- गौशाला द्वारा गत वर्ष 2___-___ में किए गए आय-व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

धनराशि रूप में

क्र०सं०	आय के स्रोत	धनराशि	व्यय का विवरण	धनराशि
1	सरकारी अनुदान सहायता		चारा-पशु आहार	
2	दान / चंदा		गोपालक एवं अन्य के वेतन / मानदेय / मजदूरी	
3	गौशाला उत्पादों के विक्रय से आय (दूध एवं दूध से बने उत्पाद, पंचगव्य आधारित उत्पाद, धूपबत्ती, अगरबत्ती वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट अदि)		बिजली पानी बिल	
4	अन्य व्यावसायिक गतिविधि से आय		पशु चिकित्सा	
5	कियाया, अर्जित धनराशि पर व्याज एवं अचल संपत्ति से आय		निर्माण / मरम्मत	
6	अन्य व्यय		अन्य व्यय	
	योग		योग	

- मैं समय-समय पर गौशाला से सम्बन्धित निर्गत शासनादेशों / दिशानिर्देशों में निहित व्यवस्था का पूर्णतः पालन करूँगा।

शपथी

मैं पुत्र/पत्नी..... शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि उपर्युक्त
क्रम संख्या १ से ९ तक तथा प्रपत्र १/५ से ५/५ पर दिया गया विवरण सत्य है।

शपथी

स्थलीय भौतिक निरीक्षण / सत्यापन हेतु गठित समिति की आख्या :
(शासनादेश संख्या 2557/37-2-2017-5 (16)/2017 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 के अनुसार)

1. निरीक्षण का दिनांक
2. गौशाला का पूरा नाम, पता एवं पंजीयन संख्या
3. गौशाला में संधारित गोवंश का सत्यापन

क्र०स०	मद	प्रजाति (संख्या)							योग
		अवर्णित	साहीवाल	हरियाना	गंगातीरी	थारपारकर	संकर/विदेशी	अन्य	
3 क	गोवंश का विवरण								
	01 वर्ष तक के गोवंश की संख्या								
	(1) 01 वर्ष तक के नर								
	(2) 01 वर्ष तक की मादा								
3 ख	3 वर्ष से कम परन्तु 01 वर्ष से अधिक उम्र के गोवंश की संख्या								
	(1) 3 वर्ष से कम उम्र के नर								
	(2) 3 वर्ष से कम उम्र की मादा								
3 ग	3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र के मादा गोवंश की संख्या								
	(1) 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र - दूध								
	(2) 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र - सूखी								
3 घ	3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र के नर गोवंश की संख्या								
	(1) 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र के								
	(2) 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र के बैल								
	योग								
	महायोग (समस्त प्रजाति का योग)								
3 ङ	उपरोक्त गोवंश में से पुलिस/प्रशासन द्वारा तस्करी/वध से बचाए गए गोवंश की संख्या जिन्हें गौशाला द्वारा सुपुर्दगी में प्राप्त किया गया (सुपुर्दगी नामा की प्रति के आधार पर)								

4. प्रारूप १/५, २/५, ३/३, ४/५ एवं ५/५ तथा शपथ पत्र में आवेदनकर्ता द्वारा दी गयी सूचना पर गौशाला अभिलेख / ऑडिटेड लेखों के आधार पर टिप्पणी.....
.....
.....
5. अन्य कोई सूचना जो निरीक्षण/ सत्यापन के समय प्रकाश में आया हो
.....
6. गौशाला में संधारित पशुओं के भरण-पोषण अनुदान सहायता के सम्बन्ध में संस्तुति : समिति गोशाला में संधारित गोवंश के सापेक्ष उपरोक्त शासनादेश दिनांक 15.12.2017 में निर्धारित मानकों एवं दरों पर धनराशि रु० (शब्दों में) रुपये अनुदान दिए जाने की संस्तुति करती है।

खण्ड विकास अधिकारी

उप जिलाधिकारी

उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी

नाम एवं मुहर सहित

जनपद स्तरीय समिति की आख्या

(शासनादेश संख्या 2557/37-2-2017-5 (16)/2017 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 के अनुसार)

(दिनांक 15.02.20__ से 28.02.20__ तक मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति द्वारा स्थलीय/ भौतिक निरीक्षण / सत्यापन हेतु गठित 3 सदस्यीय समिति से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट एवं गोशालाओं के अभिलेखों के परिक्षण के उपरांत डी०पी०आर० एवं अपनी संस्तुतियों सहित आवेदन पत्र को उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग को उपलब्ध कराया जाना)

स्थलीय/ भौतिक निरीक्षण / सत्यापन हेतु गठित 3 सदस्यीय समिति से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट एवं गोशालाओं के अभिलेखों के परिक्षण के उपरांत समिति गोशाला में संधारित गोवंश के सापेक्ष उपरोक्त शासनादेश दिनांक 15.12.2017 में निर्धारित मानकों एवं दरों पर धनराशि रु०.....(शब्दों में) रुपये अनुदान दिए जाने कि संस्तुति करती है।

क्षेत्रीय पशु चिकित्साधिकारी

सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी

जिलाधिकारी के प्रतिनिधि

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी

मुख्य विकास अधिकारी

नाम, पदनाम एवं मुहर सहित

उपयोगिता प्रमाण पत्र

गौशाला का नाम एवं पता :

पंजीयन संख्या एवं दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत पत्र संख्या

..... दिनांक द्वारा उपलब्ध कराई गयी

धनराशि रुपये (शब्दों में)

के सापेक्ष धनराशि रुपये (शब्दों में)

का शासनादेश संख्या 2557/37-2-2017-5 (16)/2017 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार
उपयोग कर लिया गया है।

उक्त व्यय की गयी धनराशि से सम्बंधित अभिलेख गौशाला कार्यालय में संधारित एवं सुरक्षित हैं
जिन्हें निरीक्षण / सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जायेगा। सुलभ सन्दर्भ हेतु धनराशि के व्यय से सम्बन्धित राज्य
सनद प्राप्त फ़र्म (फ़र्म ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित समस्त बिल / बाउचर, बैलेंसशीट सहित उपयोगिता
प्रमाण पत्र के साथ संलग्न है।

शेष राशि रुपये (शब्दों में)

चालान/ डिमांड ड्राफ्ट संख्या दिनांक वापस किए जाने हेतु संलग्न है।

गौशाला अध्यक्ष / सचिव
नाम / पदनाम / मुहर सहित
संपर्क सूत्र

गौशाला कोषाध्यक्ष / प्रबन्धक
नाम / पदनाम / मुहर सहित
संपर्क सूत्र

प्रतिहस्ताक्षरित

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी

मुख्य विकास अधिकारी